# वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2014 की स्थित के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under Article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2014, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, Local Bodies, Joint Stock Companies, Co-operative Institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2014 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹270628.74 करोड़ और ₹249502.69 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2014 were ₹270628.74 crores and ₹249502.69 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामत: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पुंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

# वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*जारी*

No.	4-GUARANTEES	GIVEN	BY	THE	UNION	GOVERNMENTContd.

	No.	4-GUARAN	IEES GIV	EN RA IH	E UNION C	GOVERNM	ENIConta.			
मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष	ि के दौरान	वर्ष के	गारंटी	कमीशन	अन्य
	गारंटीकृत	आरंभ में	दौरान	दौरान	मां	ांगी गई	अंत में	अथव	त्रा फीस	तात्विक
	अधिकतम	बकाया	परिवर्धन	विलोपन			बकाया			ब्योरे
	राशि			(वर्ष के दौरान						
				याचित के						
				अलावा)						
Name of Ministry	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invok	ed during	Outstanding	Gua	rantee	Other material
	Amount	at the	during the	during the	the	e year	at the	Com	mission	details
	Guaranteed	beginning of	year	year			end of	01	Fee	
	during the	the year		(Other		the year				
	year			than	उन्मोचित	अननुमोचित				
				invoked	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई	
				during the		Discharged		Receivable	Received	
				year)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										करोड़ रुपयों में)
										crore of rupees)
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग									(2.2.	cross or ruposo,
Department of										
Agriculture and Co-operation	2500.00	_	2500.00	_	_	_	2500.00	*8.69	8.69	_
	(1)		(1)				(1)			
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										
Department of Economic Affairs	22607.11	**21218.80	1388.31	10100.00	_	_	12507.11	61.11	60.89	_
	(19)	(17)	(2)	(3)			(16)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND	वितरण मंत्रालय									
PUBLIC DISTRIBUTION	54495.00 (2)	54495.00 (2)	_	_	_	_	54495.00 (2)	***	_	_
उद्योग मंत्रालय —	(-)	(-)					(-)			
MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industry	479.01 (9)	479.01 (9)	_	30.00	_	_	449.01 (9)	19.45	6.29	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,	(9)	(9)					(3)			
सूक्न, लेयु आर नव्यन उधन नेत्रालय, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
MINISTRY OF MICRO, SMALI										
AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE										
INDUSTRIES COMMISSION	288.00	288.00		2.00			295.00	65.60	^	
(KVIC)	288.00 (1)	(1)	_	3.00	_	_	285.00 (1)	03.00	~	_
रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	,	,,					`,			
Department of Chemicals and Petrochemicals	2.50	2.50					2.50	0.04	^^	
retrochemicals	3.59 (1)	3.59 (1)	_	_	_	_	3.59 (1)	0.04		_

<sup>\*</sup> आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹1631.00 करोड़ गारंटी की राशि के हिस्से पर देय गारंटी शुल्क को वर्ष 2016-17 तक माफ कर दिया है।

<sup>\*</sup> Cabinet Committee on Economic Affairs has waived Guarantee fee payable on a portion of the Guarantee amounting to ₹1631.00 crores till 2016-17.

<sup>\*\*</sup> विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण समायोजन।

<sup>\*\*</sup> Adjustment owing to foreign exchange fluctuations.

<sup>\*\*\*</sup> मंत्रालय ने अपने दिनाँक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

<sup>\*\*\*</sup> Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

केवीआईसी ने वित्त मंत्रालय को गारंटी शुल्क माफ करने के लिए अनुरोध किया है।

<sup>^</sup> KVIC has requested Ministry of Finance for waiver of the guarantee fee.

<sup>^^</sup> यह एक रुग्ण इकाई है।

<sup>^^</sup> It is a sick unit

### वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4–संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*जारी*

#### No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	दौरान दौरान मांगी गई अंत में निरवर्धन विलोपन बकाया (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)			कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry		Outstanding at the beginning of	during the	Deletion during the year		d during year	Outstanding at the end of	Com	rantee mission Fee	Other material details
	during the year	the year		(Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	,	11 हरोड़ रुपयों में) crore of rupees)
फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	1055.40 (4)	1039.68 (4)	^15.72	_	_	_	1055.40 (4)	67.39	^^	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	25.00 (1)	25.00 (1)	_	25.00 (1)	_	_	_	0.25	_	_
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	_	_	_	_	_	_	_	_	_	*2.59

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई
- Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND

FERTILISERS—										
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग										
Department of Chemicals and										
Petro Chemicals	100.00	100.00		_		_	100.00	1.00	1.00	
	(1)	(1)					(1)			
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00			_	_	7000.00	70.00	70.00	_
	(2)	(2)					(2)			
	(-)	(-)					(-)			
_										
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक										
वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	16989.12	8989.12	8000.00		_	_	16989.12	_	_	_
PUBLICDISTRIBUTION	(19)	(18)	(1)				(19)			
	, ,	. ,	. ,				, ,			

ब्याज की राशि होने के कारण जिसे गारंटी राशि में जोड़ा गया है।

It being the amount of interest which has been added to the guarantee amount.

<sup>^^</sup> यह एक रुग्ण इकाई है।

<sup>^^</sup> It is a sick unit

गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसको माफ करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

### वित्त लेखे, संघ सरकार

# FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

#### No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम Name of Ministry	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा) Deletion	मां	िके दौरान गी गई d during	वर्ष के अंत में बकाया Outstanding	अथव	कमीशन II फीस	अन्य तात्विक ब्योरे Other material
·	Amount Guaranteed during the	at the beginning of the year	during the year	during the year (Other		e year	at the end of the year		mission Fee	details
	year	,		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	•	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	•
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	59.07 (3)	59.07 (3)	_	59.00 (1)	_	_	0.07 (2)	0.05	0.05	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	16.00 (1)	16.00 (1)	_	16.00 (1)	_	_	_	0.16	0.16	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICAT AND INFORMATION TECHN दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications		1007.10 (2)	2740.00 (2)	2.10 (1)	_	_	3745.00 (3)	19.86	19.86	_

- (iii)भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गार्रिटयां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	27537.74 (20)	27450.74 (20)	87.00	961.13	_	_	26576.61 (20)	98.58	1.61	_
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	1959.02 (5)	1845.52 (5)	*113.50	1162.64 (2)	_	_	796.38 (3)	19.56	20.22	_
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE—	30558.45 (42)	25993.11 (42)	@4565.34	1799.09 (3)	_	_	28759.36 (39)	309.65	309.65	_
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	88369.16 (136)	*75029.20 (107)	13339.96 (29)	6781.85	_	_	81587.31 (136)	138.40	132.51	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड		50.06	****				<b>60.04</b>		0.40	
National Small Industries Corporation Limited	71.89	60.86	*11.03	2.05	_	_	69.84 (3)	0.55	0.40	_

<sup>\*</sup> विनिमय दर में बदलाव के कारण।

<sup>\*</sup> Due to exchange rate variation.

<sup>@</sup> वर्तमान गारंटी के अंतर्गत और कर्ज लिए जाने और विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण।

<sup>@</sup> Due to further drawal of loan against the existing guarantee and due to foreign exchange variation.

## वित्त लेखे, संघ सरकार

# FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

#### No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	मां	िके दौरान गी गई	वर्ष के अंत में बकाया	अथव	कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	the	d during e year	Outstanding at the end of the year	Com	rantee nission Fee	Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5 ′	6	7	8	9		11 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANS AND HIGHWAYS	PORT 673.72 (1)	2 673.72 (1)	_	32.36	_	_	641.36 (1)	1.68	1.68	_
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	3555.1 (8)	4 3112.75 (8)	442.39	71.17	_	_	3483.97 (8)	35.76	35.76	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	533.77	1 451.38 (2)	^82.33	25.11	_	_	508.60 (2)	1.10	1.10	_
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रा MINISTRY OF HUPA	लय 625.94 (2)	4 585.70 (2)	^40.24	54.91	_	_	571.03 (2)	4.86	4.86	_

वाणिज्य विभाग										
DEPARTMENT OF COMMERCE	3.75	3.75		0.64			3.11	0.05	0.05	_
	(1)	(1)					(1)			
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN										
DEVELOPMENT	209.26	209.26	_	_	_	_	209.26	2.51	2.51	_
	(2)	(2)					(2)			
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL										
AFFAIRS	6556.20	5784.45	^771.75	_	_	_	6556.20	_		_
	(2)	(2)					(2)			

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय										
MINISTRY OF STEEL	610.36	610.36	_	_	_	_	610.36	30.52	5.18	_
	(8)	(8)					(8)			

विनिमय दर में बदलाव के कारण।

<sup>^</sup> Due to exchange rate variation.

#### वित्त लेखे, संघ सरकार

#### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

#### सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त

#### No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concld.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	मां	िके दौरान गी गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ग फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)		d during e year अननुमोचित Not Discharged	Outstanding at the end of the year	Com	rantee mission Fee प्राप्त की गई Received	Other material details
1	2	3	4	5 ′	6	7	8	9	`	11 करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डी को दी गई गारंटियां:-
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— भून्य / NIL —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

— शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य -

(viii) Any Other: —

— भून्य / NIL —